[illegible]

[illegible]

[signature]

24/11/2025

12/11/25 पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी [illegible] उपस्थित का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक में लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया जावे/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर पत्रावली जिला [illegible] [illegible] मे शामिल हो [signature]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
35/25	09.04.2025	10.12.2025

बउनवान

1. अमीलाल पुत्र घडसी
2. कुलदीप पुत्र रघुवीर सिंह
3. गुलाब देवी पुत्री घडसी
4. भीमसिंह पुत्र रघुवीर
5. मनोज पुत्र बाबूलाल
6. शकुन्तला पुत्री रघुवीर
7. सरीता पत्नी बाबूलाल जातियान अहीर निवासीयान भीखावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
8. रमेश
9. गिरवर पुत्रान ज्ञाना देवी
10. रामकला
11. सुशीला
12. लखपती
13. रोशनी
14. निर्मला पुत्रीयान ज्ञानादेवी जातियान अहीर निवासीयान सिरोड खुर्द तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज।

:– वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड हौल्डर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

वादी वकील – श्री पृथ्वीसिंह यादव

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि विवादित आराजी हाल ख० न० 1170 रकबा 0.94 हैक्०, वाके ग्राम चांदपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज० में स्थित है। जो प्रस्तुत प्रा० पत्रध्वाद पत्र में विवादित आ० कहलायेगी।
2. यह है कि विवादित आ० हाल ख० न0 1170 रकबा 0.94 है० जो साबिक ख0न0 968 रकबा 0.94 हैक्० से बना है उक्त आराजी दिनांक 16/11/1992 को समस्त रकबा को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था मुलाहिजा के लिए नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल बैयनामा दावा हाजा के साथ संलग्न कर पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. यह है कि उक्त आराजी का मिनवादीगण सद्भाविक केता व सद्भाविक खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि को 16/11/1992 को जरिये रजित वैयनामा खरीदते समय वादीगण स्वयं व जो वादीगण/प्रार्थीगण के पूर्वजो ने अपना नाम पता लिखाते समय निवासी भीखावास लिखाया था लेकिन वैयनामा दिनांक 16/11/1992 का राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल करते समय साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया वादीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त गलत इन्द्राज (त्रुटि) के बारे में कतई जानकारी नहीं थी दिनांक 10/09/2021 को मिन वादीगण किसान क्रेडिट कार्ड की फाईल बनवाने के लिए हल्का पटवारी के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के०सी०सी० की फाईल बनवाने के लिए कहा तो हल्का पटवारी ने बताया की आपके आराजी हाल ख०न० 1170 रकबा 0.94 हैक0 के राजस्व रिकार्ड में आपको निवासी चांदपुर दर्ज किया हुआ है जबकि आप भीखावास के निवासी है इसलिए ख०न० 1170 का किसान क्रेडिट कार्ड की फाईल नहीं बन सकता है मिन वादीगण ने ईमित्र पर जाकर दिनांक 10/09/2021 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष राजस्व रिकार्ड में चल रही त्रुटि को दुरुस्त कराने के लिए आवेदन किया राजस्व कर्मचारी आज कल करते और अब दिनांक 14/03/2025 को राजस्व कर्मचारीयों ने स्पष्ट इंकार कर दिया कि अदालत के आदेश लेकर आओ तो दिनांक 16/03/2025 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के निवासी चांदपुर को भीखावास कराने बाबत अविलम्ब ही दावा हाजा पेश करना आवश्यक आया है।
4. यह है कि मिन वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ग्राम भीखावास के निवासी है सभी वादीगण के निवास सम्बंधी दस्तावेज भीखावास के है तथा वक्त खरीद बैयनामा कराते समय बैयनामा दिनांक 16/11/1992 में वादीगण ने अपना निवास भीखावास लिखाया था लेकिन विवादित आराजी ग्राम चांदपुर में स्थित होने के कारण राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से राजस्व रिकार्ड में साकिन देह दर्ज कर दिया अर्थात मिन वादीगण को चांदपुर निवासी दर्ज कर दिया जो गलत एन्ट्री मिन वादीगण के हक व अधिकारो के खिलाफ है बातिल व बेअसर है मिन वादीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में "साकिन देह" के स्थान पर निवासी भीखावास दर्ज कराने के अधिकारी है।
5. यह है कि चूंकि मिनवादी दिनांक 16/11/1992 को बिना किसी एतराज व विरोध के विवादित आराजी के समस्त रकबा 0.94 हैक0 पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है कानूनन खातेदारी अधिकार हांसिल है राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटि को दुरूस्त कराकर राजस्व रिकार्ड में समस्त वादीगण के नाम के साथ खातेदार काश्तकार निवासी भीखावास दर्ज कराने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यु एक्ट 1956 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रा०पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भीखावास खातेदार के उक्त हाल ख0न0 1170 रकबा 0.94 हैव0, वाके ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० के राजस्व रिकार्ड में अंकित गलत

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

एन्ट्री "काश्तकार के आगे साकिन देह खातेदार" हजफ कर उक्त गलत एन्ट्री के स्थान पर प्रार्थी न० 1 ल० 7 के साथ साकिन "निवासी भीखावास खातेदार" प्रार्थी 8 ल0 14 के साथ "साकिन सिरोड़ खुर्द" दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे, एंव श्रीमान द्वारा जारी उक्त आदेश के बाबत तहसीलदार मुण्डावर को तहरीर किये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि:–

1. ग्राम चान्दपुर के हाल राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 124 खसरा नंबर 117 रकबा 0.94 है० में वादीगण के नाम के साथ (निवास–स्थान) सा. देह दर्ज है।
2. पंजीयन दस्तावेज विक्रय पत्र 643 दिनांक 16/11/1992 के अनुसार क्रेता कुलदीप, बाबूलाल, भीमसिंह पुत्रान रघुबीरसिंह, रिछपाल पुत्र घडसीराम, अमीलाल पुत्र घडसीराम जाति–अहीर निवासी भीखावास दर्ज है जबकि नामांतरण खोलते समय नामा. संख्या 586 (बेचान) दिनांक 06/12/1992 में कुलदीप, बाबूलाल, भीमसिंह पुत्रान रघुबीरसिंह, रिछपाल पुत्र घडसीराम, अमीलाल पुत्र घडसीराम जाति–अहीर सा. देह दर्ज कर दिया गया।
3. वादीगण हाल राजस्व रिकॉर्ड में भी अपने नाम के साथ सा. भीखावास करवाना चाहते है। श्रीमान जी वादीगण वगैरह के निवास स्थान को सा. देह के स्थान पर सा. भीखावास करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071–74, जमाबन्दी सम्वत 2070, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1992, नकल आधार कार्ड लखपति, नकल आधार कार्ड रामकला, नकल आधार कार्ड, शकुन्तला, नकल आधार कार्ड सुशीला, नकल आधार कार्ड निरमला, नकल आधार कार्ड कुलदीप सिंह यादव, रमेशचन्द पुत्र होशियार माता ज्ञाना देवी पुत्री घडसीराम का शपथ पत्र पेश किया गया।

प्रार्थी वकील की संक्षिप्त बहस

वादीगण की ओर से निवेदन है कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 1170 रकबा 0.94 है०, जो साबिक खसरा 968 से बनी है, दिनांक 16.11.1992 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा वादीगण के पूर्वजा/वादीगण द्वारा विधिवत खरीदी गई थी। विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से निवास–स्थान भीखावास अंकित है।

किन्तु नामांतरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहज भूलवश "सा. देह" (साकिन देह) दर्ज कर दिया गया, जो कि एक क्लेरिकल/इन्द्राजी त्रुटि है।

वादीगण निरंतर विवादित भूमि के शान्तिपूर्वक कब्जाधारी काश्तकार व खातेदार रहे हैं। सभी आधार कार्ड, शपथपत्र व दस्तावेज भीखावास निवासी होना सिद्ध करते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अप्रार्थी (तहसीलदार) ने भी अपने जबाव में स्वीकार किया है कि– रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में निवासी भीखावास लिखा है, नामांतरण में 'सा. देह' दर्ज होना स्पष्ट त्रुटि है, वादीगण के निवास–स्थान को 'सा. देह' के स्थान पर 'सा. भीखावास' दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः वादीगण का निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में वर्तमान गलत प्रविष्टि 'साकिन देह' को हटाकर सही निवास–स्थान 'निवासी भीखावास' दर्ज किया जाए, तथा प्रार्थी संख्या 8 से 14 के लिए 'निवासी सिरोड खुर्द' अंकित करवाने हेतु निर्देश जारी किए जाएं।

वाद पूर्णतया मेरिट–युक्त, दस्तावेज आधारित व धारा 136 के अन्तर्गत योग्य है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

संक्षिप्त विवेचन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 दायर किया गया है। वादीगण का कथन है कि–

1. विवादित आराजी खसरा नं. 1170 रकबा 0.94 है०, ग्राम चांदपुर है।
2. उक्त भूमि दिनांक 16.11.1992 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी गई थी, जिसमें सभी क्रेताओं का निवास–स्थान भीखावास अंकित है।
3. नामांतरण के समय सहज भूलवश राजस्व रिकार्ड में 'साकिन देह' दर्ज कर दिया गया।
4. वादीगण को इसकी जानकारी तब हुई जब उन्होंने KCC फाइल हेतु नकल प्राप्त की।
5. वादीगण के आधार कार्ड, दस्तावेज, शपथ–पत्र सभी निवास–स्थान भीखावास सिद्ध करते हैं।

अप्रार्थी (तहसीलदार) ने अपने जबाव में यह तथ्य स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र में निवास–स्थान भीखावास दर्ज है, नामांतरण में 'सा. देह' अंकित किया जाना त्रुटिपूर्ण है, वादीगण के निवास–स्थान को भीखावास करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज (जमाबन्दी, विक्रय पत्र, नकल मिलान क्षेत्रफल, आधार कार्ड, शपथपत्र आदि) से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि– यह पूर्णतया इन्द्राजी त्रुटि (clerical error) है, वादीगण वास्तविक रूप से निवासी भीखावास हैं, प्रकरण धारा 136 के अन्तर्गत सुधार योग्य है।

अतः रिकॉर्ड में दर्ज 'साकिन देह' प्रविष्टि तथ्यात्मक रूप से गलत, त्रुटिपूर्ण एवं संशोधन योग्य पाई जाती है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर विचारोपरान्त निम्न आदेश पारित किया जाता है–

उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ावर (खैरथल-तिजारा)

1. विवादित भूमि खसरा नंबर 1170 रकबा 0.94 है०, ग्राम चांदपुर के संबंध में राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम के आगे दर्ज गलत प्रविष्टि "साकिन देह" को हटा दिया जाता है।
2. उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 से 7 के संबंध में सही प्रविष्टि– "निवासी भीखावास, खातेदार काश्तकार" दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है।
3. प्रार्थी संख्या 8 से 14 हेतु निवास–स्थान– "निवासी सिरोड खुर्द" दर्ज किया जाए।
4. इस आदेश की अनुपालना हेतु आवश्यक तहरीर तहसीलदार मुण्डावर को प्रेषित की जाए, ताकि सुधारित प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में नियमित रूप से दर्ज की जा सके।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)